FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Faridabad **Year (वर्ष):** 2022

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0022 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 13/07/2022 14:50 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	406
3	IPC 1860	420
4	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(c)
5	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(d)(i)
6	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(d)(ii)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 13/07/2022 **Time (समय):** 14:28 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 005 **Date and Time (दिनांक और समय):** 13/07/2022 14:28 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 50.00 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): VILL- BAHIN PALWAL,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** DSP मीना कुमारी

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1982 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**PS SVB FBD, ACB, Faridabad, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**PS SVB FBD, ACB, Faridabad, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	श्री श्याम सिंह तत्कालीन सरपंच			1. गांव बहीन,पलवल, BAHIN,PALWAL,HARYANA,INDIA
2	दिनेश कुमार तत्कालीन ग्राम सचिव बहीन			1. गांव बहीन, BAHIN,PALWAL,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में,
प्रबंधक अफसर,
थाना राज्य चैकसी ब्यूरो,
फरीदाबाद ।

श्रीमान जी,

जाचँ क्रमांक 03 दिनांक 30.11.2017 पलवल अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग कार्यालय के पत्र क्रमांक 61/101/2017-2 चैकसी-II दिनांक 23.11.2017 की अनुपालना में महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो(ह0) पचंकुला कार्यालय के पृष्ठ क्रमांक 14794/1-2/SVB(H) दिनांक 30.11.2017 के अनुसार श्री मनोज कुमार निवासी बहीन की शिकायत पर श्री श्याम सिंह सरपंच ग्राम पंचायत बहीन जिला पलवल के विरूद् दर्ज रजिस्टर होकर पडताल के लिये राज्य चैकसी ब्यूरो, गुरूग्राम मण्डल, गुरूग्राम में प्राप्त हुई थी। जिसमें निम्नलिखित आरोपो की पडताल की जानी थी।

आरोप न0 1:- आरोप है कि पिछली पंचायत के द्वारा पंचायती भूमी का पट्टा करीब 1 करोड 70 लाख रुपये मे छोडा था और अब सरपंच ने कुल 43 लाख रुपये मे छोड दिया है और एक जोहड जो कि करीब खुली बोली मे 1 करोड रुपये मे जाती है। वह भी उसने अपने किसी आदमी को करीब 27 लाख रुपये मे छोड दी है। सरपंच ने गांव बहीन मे लाखो रुपये का घोटाला किया है। सरपंच द्वारा 2 वर्ष के पट्टो मे अपने आदमियो को नियम को ताक पर रखकर फायदा पहुंचाया है। PVCL रुल्स 1964 की धारा 5 एवं 15 (II) के अनुसार एक आदमी को 10 एकड से अधिक का पट्टा नही दिया जा सकता जो सरपंच ने उपरोक्त नियम की अवहेलना करके रामबीर पुत्र श्री नायारण को 21-1/2 एकड, कृष्ण पुत्र श्री नारायण को 16 एकड व सुनील पुत्र श्री जगबीर को 11-1/2 एकड पंचायती भूमि का मिलीभगत करके अपने आदमियो को पट्टा दिया है। सरपंच ने डेढ वर्ष के पट्टो मे पिछले पट्टो के अनुसार करीब 72,00,600/- रुपये कम मे छोडना दिखाया है और पंचायत को वित्तीय हानि पहुंचाई है ।

आरोप न0 2:- आरोप है कि ग्राम पंचायत बहीन के सरपंच श्री श्याम सिंह ने सरकार से प्राप्त खंड ODW स्कीम (रास्ता निर्माण हेतु) फंड का अवैध रुप से राशी निकालकर गबन किया है। जिसमे 23.01.2017 व 25.01.2017 को 18,06,807/- रुपये गलत रुप से निकाली गई है। जिसमे हैरानी इस बात की है कि चैक न0 689289 से अग्रवाल RMC को 9,72,825/- रुपये की राशी अदायगी की गई है व सरपंच श्याम सिंह ने 1,53,900/- रुपये की नकद निकासी की है। जबकि गांव बहीन मे RMC से किसी भी रास्ते का निर्माण ही नही हुआ है जो कि गलत है।

आरोप न0 3:- आरोप है कि सरकार से प्राप्त PRI स्कीम के तहत लगभग 35, 36 लाख रुपये की अवैध रुप से निकासी करके गबन किया है। PRI स्कीम से सरपंच ने ग्राम सचिव से मिलकर 12,72,768/- रुपये की नकद निकासी की है जो नियम अनुसार गलत है जो कि अदायगी चैक द्वारा होनी चाहिए थी और सरपंच श्याम सिंह ने सरकारी अधिकारियो से मिलकर फर्जी बिल लगाकर अदायगी दिखाई गई है ।

उपरोक्त आरोपों की जाचँ रा0चै0ब्यू0 फरीदाबाद द्वारा करके अंतिम रिपोर्ट तैयार की गई है। अंतिम रिपोर्ट अनुसार आरोपवार बारे निम्न प्रकार से पाया गया:-

आरोप न0 1:- पाया गया है कि ग्राम बहीन के पट्टा रजिस्ट्रर के अनुसार रामबीर पुत्र श्री नारायण सिंह, बीर सिंह पुत्र श्री किशन, गिर्राज पुत्र श्री गियासीराम, रोहताश पुत्र श्री प्रमाल सिंह, कर्ण सिंह पुत्र श्री उदय सिंह, कृष्ण पुत्र श्री नारायण सिंह, सुनील पुत्र श्री जगबीर सिंह, रणबीर पुत्र श्री लालचंद वासियान गांव बहीन व गांव के अन्य व्यक्तियो को 10 एकड से ज्यादा भूमि पट्टा पर दी गई, जो पंजाब विलेज कामन लैण्ड एक्ट की अवहेलना है।

गावं बहीन में वर्ष 2014-15 मे प्लाट न0 1 से 120 तक कुल राशि मुबलिक 1,75,99,000/- रुपये मे छोडे जाने पाये गये है व वर्ष 2016-17 मे प्लाट न0 1 से 120 तक कुल राशि मुबलिक 65,59,869/- रुपये ग्राम पंचायत बहीन के सरकारी खाता मे पट्टा की राशि जमा होनी पाई गई, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 1,10,39,131/- रुपये कम मे पट्टा छोडा गया है, ग्राम पंचायत बहीन को 1,10,39,131/- रुपये की वित्तीय हानि होनी पाई गई, वर्ष 2016-17 मे ग्राम

पंचायत बहीन द्वारा पट्टे पर छोडी गई भूमि का तत्कालीन BDPO के द्वारा रिजर्व कीमत निर्धारित नही की तथा ग्राम पंचायत Land lease policy की अवहेलना करते हुए BDPO व DDPO द्वारा बोली छोडने की प्रक्रिया की स्वयं अध्यक्षता नही की गई और ना ही इस प्रक्रिया की कोई भी विडियोग्राफी कराई गई।

गांव बहीन मे जोहडो के पट्टे पुराने सरपंच द्वारा छोडे गये थे परन्तु मौजूदा सरपंच श्री श्याम सिहं द्वारा इन जोहडो को पट्टो पर नही छोडा बल्कि बिना ही पट्टे अधिकतर जोहडो मे रज्जाक पार्षद आलीमेव व कोट गांव का मौजूदा सरपंच जफर द्वारा मछली पालन किया जा रहा है। ग्राम बहीन का मौजूदा सरपंच श्री श्याम सिहं, पंचो के साथ मिलीभगत करके ठेकेदारो से पैसे लेकर मछली पालन करवा रहा है व पंचायत को वित्तीय हानि पहुंचाकर स्वयं अनुचित लाभ प्राप्त कर रहा है।

आरोप न0 2:- जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 11.12.2017 व 15.01.2018 को कार्लालय खंड एवं विकास पंचायत अधिकारी हथीन व ग्राम बहीन मौका पर स्वयं जाकर आरोप मे विषयांकित RMC कार्य का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण पर ग्राम बहीन मे आर0एम0सी0 का कोई भी रास्ता व नाली गली निर्मित होनी नही पाई गई थी। जिससे यह स्पष्ट है कि श्याम सिंह सरपंच ने (चैक न0 689290 के द्वारा मु0 5,06,888/- रुपये Mannu Building Material Supplier को, चैक न0 689255 के द्वारा 3,27,044/- रुपये । Amit Enterprzes को व चैक न0 689289 के द्वारा मु0 9,72,875/- रुपये । Aggarwal RMC को) जो कुल 18,06,807/- रुपये का अलग-2 फर्मो को पंचायत फंड से भुगतान कर दिया परन्तु मौका पर कोई निर्माण कार्य नही किया गया ।

आरोप न0 3- कथनो के अनुसार ग्राम बहीन मे लगभग 15 से 20 स्ट्रीट लाईटे मौजूद होनी पाई गई है परन्तु अमित Enterprzes के नाम पर 3,75,000/-रुपये 100 स्ट्रीट लाईटे व आशा Enterprzes के नाम पर 4,00,000/- रुपये 100 स्ट्रीट लाईटे उपलब्ध कराने के लिये अदा किये गये है। अमित इन्टरप्राईजिज श्री बीर सिंह की फर्म है जो सरपंच श्याम सिंह का सगा मामा है इसके अलावा स्ट्रीट लाईट के सम्बंध में अमित इन्टरप्राईजिज के वाउचर से पाया गया कि यह फर्म स्ट्रीट लाईट नही बेचती है। स्ट्रीट लाईटे बारे लगभग 6,75,000/- रुपये व का गबन करना पाया गया।

ग्राम बहीन के मौका निरीक्षण से यह पाया गया है कि ग्राम बहीन मे केवल 3 गेट लगे हुए है जिनमे से 1 गेट गौशाला बहीन द्वारा ट्रस्ट के खर्चे पर लगाया जाना पाया गया है इसके अलावा होडल रोड व सेवली रोड पर कोई भी स्वागत द्वार ग्राम पंचायत बहीन द्वारा नही लगाया जाना पाया गया है परन्तु 5 स्वागत द्वारो का भुगतान चैक न0 689280 दिनांक 11.04.2017 के अनुसार 9,00,000/- रुपये व चैक न0 478681 दिनांक 02.08.2017 के अनुसार 10,01,154/- रुपये जो कुल 19,01,154/- रुपये अदा की जानी पाई गई है। इस प्रकार स्वागत द्वार के सम्बंध में 13,11,154/- रुपये का गबन पाया गया।

गावं पंचायत बहीन के रिकार्ड अनुसार दिनांक 22.08.2016 को ग्राम पंचायत बहीन द्वारा 2 रसीदों अनुसार क्रमशः 1,05,000 व 1,50,000 कुल 255000 पानी के टैंकरो का भुगतान करना पाया गया है परन्तु कथनो व पडताल के अनुसार पाया गया है कि गावं मे पीने के पानी हेतु नियमित सप्लाई है व जिन व्यक्तियो को पानी के टैंकर हेतु भुगतान किया गया है वे सरपंच के खास (चहेते) व्यक्ति है व गांव मे पानी के टैंकर कभी भी नही आये।

उपरोक्त आरोपो की जाचँ रा0चै0ब्यूरो, फरीदाबाद द्वारा की जाकर श्री श्याम सिंह तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत बहीन व दिनेश कुमार तत्कालीन ग्राम सचिव बहीन के विरुद् धारा 406, 420,120बी0 भा0द0स0 व 13(1)(सी), 13(1)(डी)(I)(II) सपठित 13 (2) भष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के तहत अभियोग अंकित करने तथा अनुसंधान के दौरान किसी अन्य की भी संलिप्ता पाई जाने पर देख लेने बारे प्रस्तावित किया गया। इसके उपरान्त माननीय मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के कार्यालय के यादि क्रमांक 61/101/2017-2 चै0-II दिनांक 20.06.2022 व महानिदेशक, राज्य चैकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला कार्यालय के क्रमांक 10166/आई0-2/रा0चै0ब्यू0 (ह0) दिनांक 24.06.2022 के अनुसार अभियोग अंकित करने के आदेश प्राप्त हुये है। जिस पर श्री श्याम सिंह तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत बहीन व दिनेश कुमार तत्कालीन ग्राम सचिव बहीन के विरुद् धारा 406, 420,120बी0 भा0द0स0 व 13(1)(सी), 13(1)(डी13(1)(डी)(I)(II) के तहत अभियोग अंकित करने के लिये तहरीर मु0सिपाही चरणजीत नं0 387/मेवात के द्वारा थाना भेजी जा रही है। स्पैशल रिपोर्ट डियुटी मैजिस्ट्रेट व अफसरान बाला की सेवा में बिना किसी देरी के भिजवाई जावे। अनुसंधान के दौरान किसी अन्य की भी संलिप्ता पाई जाये तो उसे भी अनुसंधान के दौरान देख लिया जाये। उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार निरीक्षक सौरनलाल को अभियोग की तफतीश के लिये अनुसन्धान अधिकारी नियुक्त किया गया हैं अतः अभियोग की मिशल निरीक्षक सौरनलाल के हवाले की जाये, आमदा रिकार्ड साथ सलंग्न है। अज-

कार्यालय, राज्य चैकसी ब्यूरो, फरीदाबाद।
SD.मीना कुमार (मीना कुमारी, ह0पु0से0),उप पुलिस अधीक्षक,थाना राज्य चौकसी ब्यूरो,फरीदाबाद मण्डल, फरीदाबाद। दिनांक 13.07.2022 At.2.00 PM. अज थाना :- हस्ब आमद तहरीर कायमी मुकदमा न0 22 दिनांक 13.07.2022 धारा 406, 420,120बी0 भा0द0स0 व 13(1)(सी), 13(1)(डी)(I)(II) भ्रटाचार अधिनियम PS SVB FBD मे दर्ज रजि0 किया जाकर FIR कि प्रतिया CCTNS कम्पयूटर द्वारा तैयार कि जाकर मुकदमा हजा की स्पेसल रिपोर्ट HC चरणजीत न0 387/मेवात के ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब वा अफसरान बालान को भिजवाई जाये नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर हवाले I/O के की जायेगी नोटः- यह मुकदमा निरीक्षक बिजेन्द्र सिह की हाजरी में दर्ज रजि0 किया गया है ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** SHORAN LAL **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 113GGN **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Abhishek Jorwal

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): IPS

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1978				**Is pox pitted:** Yes
2	Male	1975				**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)